ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 247-252**
I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-I, Issues-35, YEAR-Jan-Mar. 2025

महिलाओं के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान

1. अभिज्ञान
2. डॉ0 कंचन प्रभा

1. शोध अध्येता 2. प्रोफेसर– राजनीति विज्ञान विभाग, जे.एस. विद्यालय, शिकोहाबाद फिरोजाबाद (उ0प्र0) भारत

Received-20.03.2025, Revised-25.03.2025 Accepted-30.03.2025 E-mail : aayvart2013@gamil.com

सारांशः भारत में महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है। यद्यपि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति ऐतिहासिक रूप से असमान रही है, फिर भी भारतीय संविधान में ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं जो उनके मानवाधिकारों की रक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह अध्ययन भारतीय संविधान में निहित उन प्रमुख अनुच्छेदों और विशेष प्रावधानों की विवेचना करता है जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, उनके सामाजिक–आर्थिक उत्थान तथा लैंगिक समानता को सुनिश्चित करते हैं। साथ ही, यह भी विश्लेषण किया गया है कि इन संवैधानिक प्रावधानों के कार्यान्वयन में क्या व्यावहारिक चुनौतियाँ हैं और उनके समाधान के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। यह शोध महिलाओं के अधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा के साथ–साथ उनके सामाजिक न्याय की प्राप्ति की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित करता है।

कुंजीभूत शब्द– महिला अधिकार, मानवाधिकार, संविधान, लैंगिक समानता, मौलिक अधिकार, संवैधानिक प्रावधान, सशक्तिकरण

संवैधानिक प्रावधान– भारत के संविधान में महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाने और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं को शामिल किया गया है, जिसका पालन करना आवश्यक है। संविधान के निर्माता महिलाओं की समस्याओं के प्रति बेहद सजग थे और वे भारत को एक विकसित देश बनाना चाहते थे। इस प्रकार, उन्होंने लिंग, स्थिति, नस्ल आदि पर विशिष्ट रूप से आधारित अलगाव को दूर करने का प्रयास किया, महिलाओं के साथ स्थिति के सामान्य विकास के लिए कुछ असाधारण व्यवस्थाएं कीं। सामान्य जनमानस में महिलाओं की स्थिति उस समाज के विकास की गति को दर्शाती है। चूँकि महिलाएँ जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा हैं और यदि एक निर्मित समाज की आवश्यकता है, तो महिलाओं का स्थान बनाया जाना चाहिए।

प्रस्तावना, रिकॉर्ड संविधान का प्रतिबिंब, व्यक्तियों के मानकों और बिंदुओं को प्रतिबिंबित करती है। प्रस्तावना ने स्वयं अपने प्रत्येक निवासी के लिए समान उपचार पर ध्यान केंद्रित किया। भारत के संविधान का परिचय इसके प्रत्येक धारक को न्याय दिलाने की प्रतिज्ञा करता हैः न्याय, सामाजिक, वित्तीय और राजनीतिकय विचार, स्पष्टीकरण, दृढ़ विश्वास, निश्चितता और प्रेम की स्वतंत्रताय स्थिति और संभावना की समानताय और उन सभी के बीच प्रगति के लिए भाईचारा व्यक्ति की प्रशंसा और देश की दृढ़ता और वास्तविकता को सुनिश्चित करता है। संविधान न केवल लोगों को अवसर की निष्पक्षता और समान दर्जा सुनिश्चित करता है, बल्कि राज्य को महिलाओं के लिए सकारात्मक अलगाव के अनुपात को अपनाने में भी सक्षम बनाता है। भारत का संविधान राज्य सरकार को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई भी असाधारण व्यवस्था करने का अधिकार देता है। यह महिलाओं को असाधारण स्वतंत्रता देता है। राज्य महिलाओं को पुरुषों से अलग नहीं कर सकता, लेकिन पुरुषों को महिलाओं से अलग नहीं कर सकता।

प्रत्येक व्यक्ति के पास विरासत के रूप में कुछ अधिकार होते हैं। एक इंसान होने के नाते, ये स्वतंत्रताएं प्रत्येक व्यक्ति के आवश्यक विशेषाधिकार हैं जिन्हें बुनियादी स्वतंत्रताओं के रूप में जाना जाता है। बुनियादी स्वतंत्रताएं मानव बड़प्पन के विचार का एक आवश्यक हिस्सा हैं जो सीओआई की विभिन्न व्यवस्थाओं द्वारा सुरक्षित है।' मेनका गांधी बनाम एसोसिएशन ऑफ इंडिया में जे. भगवती ने कहाः

"ये मौलिक अधिकार वैदिक काल से इस देश के लोगों द्वारा पोषित बुनियादी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनकी गणना व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करने और ऐसी स्थितियाँ बनाने के लिए की जाती है जिसमें प्रत्येक मनुष्य अपने व्यक्तित्व को पूर्ण सीमा तक विकसित कर सके"

किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा निर्धारित रणनीति के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा जैसा कि कला में कहा गया है। सीओआई के 21. यह केवल वास्तविक उपस्थिति नहीं है बल्कि मानवीय गरिमा के साथ अस्तित्व का अधिकार अनुच्छेद 21 की सर्वोत्कृष्टता है। सभी मनुष्य, पुरुष और महिला जीवन के अधिकार के हकदार हैं। भारतीय न्यायपालिका संविधान में रक्त का समावेश करती है क्योंकि उसने जीवन के अधिकार की व्याख्या गरिमा के साथ जीवन के बराबर की है।

अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय चर्चाओं में भारत हमेशा से महिलाओं के लिए कारण का प्रमुख रहा है। आजादी के बाद से, भारत सरकार ने विभिन्न अभिविन्यास पूर्वाग्रहों को खत्म करने की दिशा में समन्वित प्रयास किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाओं को वास्तविक ज्ञान में लोगों के बराबर का दर्जा मिले जैसा कि सीओआई में माना गया है।

सीओआई ने एक निष्पक्ष संस्कृति की कल्पना की, किसी भी स्थान पर लिंग (सिर्फ समाज) पर विचार करते हुए कोई विभाजन नहीं होगा और सभी के लिए सामाजिक, वित्तीय और राजनीतिक रूप से जागरूक मूल्य सुनिश्चित करने की कसम खाई। इसके अलावा यह हर किसी के लिए स्थिति और अवसर के अनुरूपता और व्यक्ति के गौरव को सुनिश्चित करने के मिशन पर निकल पड़ा।' इन उद्देश्यों को निष्पादित करने के आग्रह में संविधान ने विस्तृत योजनाएँ बनाईं। सामान्य और राजनीतिक अवसरों या राजनीतिक रूप से जागरूक मूल्य को सुनिश्चित करने के लिए संविधान के भाग प्प् में महत्वपूर्ण सम्मान की गारंटी दी गई है। साथ ही, धन संबंधी और सामाजिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए भाग प्ट में गेम प्लान बनाए गए हैं, जिन्हें व्यापक रूप से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के रूप में जाना जाता है।

सभ्यता को एक दिशा देने के भारत सरकार के आश्वासन ने दुनिया भर में अपने विशेषाधिकारों और लेखन, लंबी पैदल यात्रा और ग्रह जैसे क्षेत्रों में अपने ऋणों के लिए लोगों की अंतहीन लड़ाई से प्रेरणा ली।

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-I, Issues-35, YEAR-Jan-Mar. 2025

दुनिया में अपने लिए जगह पाने के लिए उत्पीड़ित और वंचित वर्गों के विकास ने भारत सरकार और राज्यों की सभ्यता को न्यायसंगत बनाने के दृढ़ संकल्प को मजबूत किया। इसके अलावा, यहां उन तरीकों, प्रयासों और अभ्यासों को तेजी से देखना समझदारी होगी, जिनका समाज के नेतृत्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

विनियमन की निगरानी और नियमों के संवाददाता आश्वासन के तहत सभी को एकरूपता का अधिकार सुनिश्चित किया गया है और इस तरह से लिंग के आधार पर कोई भी अलगाव उचित नहीं है। पत्राचार के इस अधिकार का एक विशेष उदाहरण कला में दिया गया है। 15 जो 'सेक्स' के साथ अलग–अलग कारणों से अलग होने पर रोक लगाता है। जबकि कला. 15(1) गैर–पृथक्करण का एक समग्र मानक निर्धारित करता है, कला। 15(2) कला में निर्धारित गैर–पृथक्करण के समग्र मानक के एक विशेष चित्रण का प्रतीक है। 15(1).

अनुच्छेद 15(3) की व्यवस्था कला के लिए एक विशेष मामला देती है। 15(1) और 15(2). कला के अनुसार. 15(3) "इस लेख में कुछ भी राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष व्यवस्था करने से नहीं रोकेगा।" सीधे शब्दों में कहें तो राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए अनूठी व्यवस्था कर सकता है। वास्तविक विचार यह है कि उन्हें राज्य बीमा की आवश्यकता है, विवेकपूर्ण यह है कि महिलाओं की वास्तविक संरचना और मातृ क्षमताओं का कार्यान्वयन उन्हें बोझ की स्थिति में रखता है।

अनुच्छेद 15 में महिलाओं के अनुरूप प्रावधान (3) जोड़ना इस बात की स्वीकृति है कि लंबे समय से इस देश की महिलाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर रही हैं। इस प्रकार, वे पत्राचार के आधार पर गणतंत्र के राजकोषीय आंदोलनों में भाग नहीं ले सकते। इसका उद्देश्य महिलाओं के इस वित्तीय पिछड़ेपन को दूर करना और उन्हें इस तरह से शामिल करना है जिससे पुरुषों के बीच शक्तिशाली समानता कायम हो सके। 15(3) को कला में रखा गया है। 15. इसका लेख महिलाओं के साथ स्थिति को सुदृढ़ करने और उस पर काम करने के लिए है। राज्य में कार्यरत कॉर्पोरेट या पदों के संबंध में महिलाओं के लिए असाधारण व्यवस्था बनाना कला का एक आवश्यक हिस्सा है। 15(3). अनुच्छेद 15(3) के तहत उपलब्ध इस अधिकार को अनुच्छेद 16 द्वारा उस मानसिकता में कम नहीं किया गया है। "असाधारण व्यवस्था", जिसे राज्य किसी की देखरेख या नियामक के तहत हर प्रकार के आंदोलनों में महिलाओं के समर्थन पर काम करने के लिए कर सकता है। जनता या तो संस्कृति या पंजीकरण में गुटों के संबंध में कार्यकारी नीति के रूप में हो सकती है।

अनुच्छेद 15(3) के प्रावधानों से लैस संसद ने 1990 में "राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम" पारित किया।

कला। संविधान का 42 राज्य को महिला श्रमिकों के लिए काम की अनिवार्य और सहानुभूतिपूर्ण स्थितियाँ प्राप्त करने और मातृत्व सहायता के लिए गेम प्लान बनाने का निर्देश देता है। इस अनुरोध को पूरा करने के लिए संसद ने मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 पारित किया। यह अधिनियम महिलाओं द्वारा काम के दौरान स्पष्ट अवधियों के लिए स्पष्ट प्रारंभिक बिंदु में तैयार किए गए समन्वय और मातृत्व लाभ और कुछ विभिन्न लाभों को उपकृत करने का प्रयास करता है। लाभों में शामिल हैं: महिला की मृत्यु के मामले में मातृत्व लाभ का हिस्सा, नैदानिक पुरस्कार का हिस्सा, फलहीन काम के लिए छुट्टी, ट्यूबेक्टोमी आंदोलन और विभिन्न हरियाली आदि के लिए वेतन के साथ छुट्टी।

कला। संविधान के 43 में प्रावधान है कि नगरपालिका 'मजदूरों' के लिए जीवनयापन वेतन आदि प्राप्त करने का प्रयास करेगी और इस शब्द में महिला मजदूरों को इच्छा के रूप में शामिल किया गया है। हालाँकि 'जीविका वेतन' प्राप्त करने के लिए कोई विनियमन पारित नहीं किया गया है, फिर भी संसद ने न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 पारित किया। यह श्रमिकों की सरकारी सहायता के लिए पारित किया गया था। विधेयक के उद्देश्य का दावा सामने आता है:

न्यूनतम वेतन के कानूनी जुनून को वैध बनाना स्वयं–स्पष्ट है। ऐसी व्यवस्थाएँ जो अधिक विकसित देशों में मौजूद हैं, भारत में भी मौलिक हैं, जहाँ श्रमिक संगठन अभी भी अप्रभावी रूप से विकसित हुए हैं और विशेषज्ञ सेवा शक्ति इसलिए खराब है।

इस प्रकार, अधिनियम का उद्देश्य व्यवसायी लोगों द्वारा आम जनता के अनभिज्ञ, कम समन्वित और कम पसंदीदा व्यक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ समन्वित है।

मुआवजा शब्द को अभी तक अधिनियम में वर्णित नहीं किया गया है, जब कुछ विचारों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मजदूरी तय की जाती है तो व्यवसायों के लिए उनकी भुगतान सीमा की परवाह किए बिना भुगतान करना अनिवार्य है।

कला। 39(डी) राज्य को सभी प्रकार के लोगों के लिए "समान कार्य के लिए समान मुआवजा" प्राप्त करने का आदेश देता है। इस आदेश को पूरा करने के लिए संसद ने समान वेतन अधिनियम, 1976 पारित किया। अनुच्छेद 39(डी) में उल्लिखित सभी प्रकार के लोगों के लिए "समान काम के लिए समान मुआवजा" निश्चित रूप से एक सरल लोकतांत्रिक आदर्श वाक्य नहीं है। यह एक संवैधानिक उद्देश्य है जिसे संवैधानिक उपचारों के माध्यम से, पवित्र स्वतंत्रताओं के कार्यान्वयन द्वारा पूरा किया जा सकता है।"

संदर्भित संवैधानिक व्यवस्थाओं की इसी श्रृंखला में 1992 के 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों को भी शामिल किया जा सकता है, जिसके द्वारा पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए स्थानों के पंजीकरण की व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद 51–ए (ई) जो प्रमुख दायित्वों से जुड़ा है, एक दायित्व को लागू करता है। प्रत्येक निवासी को यह निर्देश दिया गया कि वह महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली गतिविधियों का खंडन करेगा।

भारतीय दंड संहिता, 1860 भी महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों पर गंभीर अनुशासन लागू करती है। नतीजतन, धारा 354 महिलाओं की विनम्रता को आघात पहुंचाने की उम्मीद से उन पर हमला या आपराधिक शक्ति, एक सुधारात्मक अपराध बनाती है। धारा 366 किसी को भी पकड़ने, अपहरण करने या अपनी शादी का आग्रह करने के लिए महिलाओं को शामिल करने पर अनुशासन लागू करती है। खंड 366–यौन कारणों से नाबालिग युवतियों की खरीद–फरोख्त की व्यवस्था। क्षेत्र 292, 293 और 294 में विद्रोही पुस्तकों की बिक्री और प्रदर्शन, युवाओं को अपवित्र वस्तुएं और खुले स्थान पर घृणित प्रदर्शन और धुनें बजाने पर अनुशासन शामिल है। धारा 304(बी) बंदोबस्ती के अनुरोध के संबंध में एक महिला की हत्या का प्रबंधन करती है। खंड 312 से 318 असफल प्रसव, अजन्मे बच्चों को घाव, नवजात बच्चों का खुलापन, और प्रसवकालीन आवरण के बारे में चिंतित हैं। धारा 494 बहुविवाह के बाद से महिलाओं की रक्षा करती है और धारा 498ए महिलाओं के पति या पत्नी द्वारा प्रतिशोध की भावना से रक्षा करती है। एसध्509 के तहत दोषी। तो इसी तरह, धारा 510 के तहत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ खुले तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार सीधे हिरासत में लिया जा सकता है। सीआरपीसी की धाराध्125 के तहत, एक महिला को भरण–पोषण का अधिकार है।

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-I, Issues-35, YEAR-Jan-Mar. 2025

महिलाओं के लिए आरक्षण– हमारे सांसद दिखावा करके ऐसे मुद्दे की बहस में उलझ गए हैं जो सामाजिक–राजनीतिक तौर पर कोई मुद्दा ही नहीं है।

अचानक कायापलट या हमारे राजनेता पिछले पंद्रह वर्षों से 33ः आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं, यह अगले राष्ट्रीय और विधानसभा चुनावों में वोटों के लिए देखने की एक मूर्खतापूर्ण और सरल गणना प्रतीत होती है। संसद को चुनावी मंच के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना एक राष्ट्रीय शर्म की बात है, जिसे हमारे लोगों के प्रतिनिधियों को महसूस करना चाहिए।

हमारे देश में कोई भी पार्टी–राजनीतिक प्रक्रिया में सर्वोत्तम संख्यात्मक अनुपात में महिलाओं के प्रतिनिधित्व और योगदान पर बहस नहीं कर सकता है। पंचायत में अनुभव आम तौर पर उत्साहवर्धक रहा है। लेकिन पंचायत के अनुभवों को राष्ट्रीय या राज्य की राजनीति में प्रत्यारोपित करना न तो वास्तविक है, न ही राजनीतिक रूप से स्वस्थ है और इसमें कुछ कृत्रिमता या महिला प्रतिनिधित्व शामिल हो सकता है।

सबसे पहले, हमारे राजनीतिक दल लैंगिक रूप से पुरुष प्रधान हैं और संसदीय माध्यम से महिलाओं के लिए 33ः आरक्षण वास्तव में अन्य सामाजिक सुधार, दहेज निषेध अधिनियम की तरह एक मृत पत्र साबित होगा। सती अधिनियम और बाल विवाह निरोधक अधिनियम। उन्होंने महत्वपूर्ण बात यह कही कि ऐसी योजना को सफल बनाने के लिए मानसिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का विकास अपरिहार्य है। जातिगत आधार पर विभाजित जनमत किसी रुके हुए प्रस्ताव को सुधार नहीं सकता।

दूसरे, 33 प्रतिशत आरक्षण समय से पहले है, क्योंकि पंचायतों की आसानी में भी, यह देखा गया है कि केरल को छोड़कर महिलाओं को पुरुषों द्वारा केवल मुखौटे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और महिलाओं को सशक्त बनाने का पूरा उद्देश्य एक मजाक बन गया है। महिला प्रधानों के पति प्रधानपति के रूप में वापस जा रहे हैं और सत्ता का उपयोग कर रहे हैं, जो उनके कारण नहीं है। यहां वास्तविक और समानांतर आवश्यकता महिलाओं को सामाजिक रूप से ऊपर उठाने की है जिस पर कोई भी दल महिला आरक्षण की अपनी योजना में ईमानदारी से विचार नहीं कर रहा है।

तीसरा, महिलाओं के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का रोटेशन मौजूदा विधायिकाओं या संभावित उम्मीदवारों को गंभीर रूप से खतरे में डाल देगा, जिन्होंने पांच साल तक निर्वाचन क्षेत्र का पोषण किया है।

उसे यह जानकर झटका लग सकता है कि यह निर्वाचन क्षेत्र महिलाओं के लिए आरक्षित है। यह एक गंभीर उदासीनता सिंड्रोम पैदा कर सकता है जो किसी भी उम्मीदवार के लिए घातक भागीदारी मनोविकृति होगी क्योंकि उसे उस विशेष निर्वाचन क्षेत्र में टिकट पाने का मौका मिलने का भरोसा नहीं है। इस प्रकार उनके निर्वाचन क्षेत्रों में काम करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा।

चौथा, मौजूदा पुरुष राजनेताओं की पत्नियाँ, माताएँ और सच्चे मित्र आकर उनकी सीटों पर कब्जा कर लेंगे। वे उस तरह की महिलाएं नहीं हैं जिन्हें राजनीतिक सशक्तिकरण की जरूरत है। दलित महिलाएं जहां हैं वहीं रहेंगी.

लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि जिन समस्याओं का तर्क दिया गया है उन्हें महिलाओं को आरक्षण के दायरे में लाने में बाधा के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन असली समस्या एक सर्वसम्मत, गतिशील और लाभकारी फॉर्मूले की खोज है जिसे धरती पर उतारा जा सके। सामाजिक न्यायविदों और राजनेताओं के अलग–अलग समूह तीन वैकल्पिक तरीके सुझाते हैंः

(1) न केवल 33ः महिला आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए बल्कि सामान्य, ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में इसका वर्गीकरण सुनिश्चित करने के लिए संविधान में विस्तृत संशोधन किया गया है, लेकिन यह सुझाव अभी तक दोषपूर्ण है, यह पहले से मौजूद जाति आधारित आरक्षण को कायम रखता है। 33ः ढांचे के भीतर जाति के आधार पर महिलाओं का उप–आरक्षण भी भारत द्वारा निर्धारित 50ः सीमा के विरुद्ध संवैधानिक हो जाएगा"1।

(2) पार्टी की नीतियों और सुविधाओं के अनुसार महिलाओं की उम्मीदवारी तय करने के लिए आरक्षण का मुद्दा पार्टी फोरम पर छोड़ दिया गया है।

यह विचार सभी मायनों में चुनाव आयोग द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के माध्यम से बेहतर ढंग से दिया गया है, जो वैचारिक समूहों के लिए उन्हें संभालना अनिवार्य बनाता है। राजीव गांधी द्वारा समर्थित राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में इस तकनीक का एक प्रकार सुझाया गया था। वास्तव में पार्टी हिस्सेदारी अधिकांश लोकप्रिय सरकारों द्वारा अपनाई गई थी जहां महिलाएं अपने लिए एक अच्छा राजनीतिक प्रतिनिधित्व पाने के संबंध में प्रबल थीं।

संसदों के पास कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण या किसी भी क्षेत्र के लिए विनियमन बनाने की क्षमता है। भारत का संविधान, 1950 महिलाओं के लिए असाधारण व्यवस्था करता है। सीओआई का 14 सत्र विनियमन को रोकता है फिर भी समझदार लक्षण वर्णन की अनुमति देता है। किसी भी मामले में, समूह को कुछ "स्पष्ट अंतर" पर स्थापित किया जाना चाहिए और विनियमन के प्रदर्शन द्वारा पूरा करने की कोशिश की गई वस्तु के साथ "सामान्य संबंध" होना चाहिए।

समूहीकरण और आइटम विनियमन पर विचार करते हुए "महिलाओं" को एक वर्ग के रूप में माना जा सकता है और वह स्वयं के समर्थन में अद्वितीय नियम बना सकते हैं। तथ्य वास्तव में पुष्टि करते हैं कि विभिन्न व्यवस्थाओं को पर्याप्त और सीओआई की संरचना के भीतर घोषित किया गया है, जहां महिलाओं को एक असाधारण हैंडलिंग पर सहमति दी गई है। विनियमन की ऐसी व्यवस्था को न्यायाधीशों द्वारा कला के तहत एकरूपता के नियम की अवहेलना न करते हुए "सहिष्णु लक्षण वर्णन" के रूप में घोषित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 14 में दिया गया आदेश अनियमित नहीं है।

कला के तहत प्रतिष्ठित पत्राचार का अधिकार। सीओआई के 14 और 15 में अवसर की एकरूपता, कानून के समक्ष समानता, नियमों की समान सुरक्षा, लिंग, धर्म, स्थिति और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं करना और सामुदायिक कार्य के मुद्दों में कोई अलगाव नहीं होना शामिल है। सेक्स के बारे में जैसा कि कला के तहत दिया गया है। संविधान के 16.

एक महिला केवल इस आधार पर किसी कार्य से इनकार नहीं करेगी कि वह एक महिला है। अपने मील के पत्थर के निर्णय में। सर्वोच्च न्यायालय ने "एयर इंडिया बनाम नर्गेश मिर्जा"2 में कहा है कि किसी महिला को केवल इस आधार पर व्यवसाय से वंचित नहीं किया जाएगा कि वह एक महिला है क्योंकि यह कला का उल्लंघन है। संविधान के 14. वर्तमान मामले में, जिसमें इंडियन एयर लाइन्स और एयर इंडिया के एयर–मास्टर्स ने सहायता निर्णयों का परीक्षण किया है जो यह व्यक्त करते हैंः

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-I, Issues-35, YEAR-Jan-Mar. 2025

"एयर–मास्टर्स अपनी यात्रा के शुरुआती चार वर्षों तक शादी नहीं करेंगी, अगर वे गर्भवती हो जाएंगी तो वे अपना पद खो देंगी।" वे 35 साल की उम्र में इस्तीफा दे देंगे, सिवाय इसके कि अगर देखरेख करने वाला प्रमुख अपनी सावधानी से कार्यकाल को एक दशक तक बढ़ा देता है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि प्राथमिक व्यवस्था वैध है, क्योंकि इससे परिवार नियोजन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और अस्थायी या तात्कालिक आधार पर हवाई–महिलाओं को भर्ती करने वाले उपयोग या वाहक का निर्माण होगा, हालांकि उन्होंने दूसरी और तीसरी व्यवस्था को बेईमान घोषित किया, असंवेदनशील, क्रूर, घृणित, घृणित, निरर्थक, अनियमित, गैरकानूनी और भारतीय नारीत्व का खुला अपमान।

इस तरह शीर्ष अदालत के उपरोक्त फैसले ने कामकाजी महिलाओं की स्थिति काफी बढ़ा दी है। ओपन बिजनेस आधारित या स्मार्ट व्यवस्था में महिलाओं के लिए बुकिंग अवैध नहीं है। बहरहाल, कला के तहत. संविधान के 15 में नगर पालिका महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था बनाने में सक्षम है। मामलों के लिए, यूरोस्टार या ट्रांसपोर्ट में अतिथि योजना का निर्माण, थोड़ा सा भी अवैध नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 15 का प्रेरक विचार सुरक्षा पृथक्करण करना है। किसी भी मामले में, पुष्टि के कारण के लिए नैदानिक आधार में उच्चतम स्तर पर कोई छूट नहीं होगी।

'समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक' की शिक्षा समान रूप से सभी प्रकार के लोगों के लिए प्रासंगिक है, यहां तक कि दैनिक सट्टेबाजों को भी समान वेतन के लिए पात्र हैं, जैसा कि प्रभाग के विभिन्न प्रतिनिधि अलग–अलग कार्य को पूरा करने के लिए उपयोग करते हैं। इसी तरह "हरियाणा राज्य बनाम राज पाल शर्मा"3 में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हरियाणा राज्य में गुप्त रूप से प्रबंधित स्कूल में प्रशिक्षकों का शोषण किया जाता है और वे उसी तरह के मुआवजे और स्नेह प्रतिपूर्ति के लिए सक्षम हैं जैसा कि सरकार में कार्यरत प्रशिक्षकों को भुगतान किया जाता है। . स्कूल.

यह प्रस्तुत किया गया है कि सार्वजनिक रोजगार में महिलाओं के लिए आरक्षण संवैधानिक लक्ष्य है। महिलाएं सार्वजनिक रोजगार में समानता की हकदार हैं, हालांकि, उन पहलुओं में उन्हें अधिमान्य उपचार दिया जाना चाहिए ताकि वे पुरुषों के साथ रह सकें। "सावित्री बनाम के.के. बोस"4, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने महिलाओं के लिए असाधारण व्यवस्था बनाई क्योंकि क्लास तो लगाई जा सकती है, लेकिन एक आधुनिक महिला की मदद के लिए नहीं। फिर भी, अकेले रेलवे महिलाओं के पंजीकरण कार्यालयों में हिस्सेदारी की चयनात्मक व्यवस्था कला का उल्लंघन है। सीओआई के 14 और 16. खुले काम में महिलाओं के लिए अतिरिक्त चयनात्मक बुकिंग स्थापित नहीं की गई है।

स्थानीय निकायों और शैक्षिक आधारों पर महिलाओं के लिए आरक्षण सीटों को लिंग के आधार पर अलगाव के रूप में नहीं लिया जा सकता है, "टी" में। सुधाकर रेड्डी बनाम भारत सरकार5 ने मुझे सहकारी समिति अधिनियम, 1964 की धारा 316(1)(ए) और महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों की व्यवस्था की संवैधानिक वैधता बनाए रखी है। न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 15(3) के आदेश पर निर्भर करता है, जिसमें दो महिला व्यक्तियों, रजिस्ट्रार या सहायक सामाजिक आदेशों के पर्यवेक्षण पैनल के चयन और बोर्ड की बैठक में भाग लेने का अधिकार शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने वैधता बरकरार रखी और कहा कि उस कला के तहत उल्लिखित अधिनियम और नियमों को नष्ट कर दिया गया है। संविधान का 15(3) महिलाओं के लिए अनूठी व्यवस्था बनाने की अनुमति देता है,

1992 में 73वें और आगे के संवैधानिक परिवर्तनों द्वारा पंचायत और क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सीटों की बुकिंग को कला में शामिल कर दिया गया। 243(बी), (डी) और 243(टी)। पंचायत में संविधान के आदेश या अनुच्छेद 15(3) के अनुसार, प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष राजनीतिक जाति द्वारा भरी जाने वाली कुल संख्या या सीटों का कम से कम 33ः महिलाओं द्वारा भरा जाना चाहिए। इन स्थानों को एक पंचायत में विभिन्न समुदायों को धुरी द्वारा वितरित किया जाता है, जो सीटों के कुल सदस्यों का कम से कम 33ः होगा। हर पंचायत में अध्यक्ष की कुर्सी महिलाओं के लिए रखी जाएगी। संविधान का अनुच्छेद 243(टी) जिलों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के संबंध में तुलनीय व्यवस्था करता है। इस प्रकार, सरकार. संवैधानिक अधिकारियों की संपत्ति पर स्थानीय रूपों में महिलाओं के लिए 33ः की एक सफल आरक्षित सीट बनाई गई, जिसे एक अग्रणी नियामक अंत के रूप में मापा जाता है।

हालाँकि, संसद ने महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33ः स्थान रखने के लिए 81वें संवैधानिक संशोधन की समीक्षा कीः इसे संसद के संयुक्त पैनल में भेजा गया और यह पारित नहीं हुआ।

उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानों के मद्देनजर, यह कहा जा सकता है कि भारत ने महिलाओं को राजनीतिक चक्र में रणनीति गतिशील स्तर पर शामिल करने में एक बड़ी प्रगति की है।

व्यवसाय में महिलाओं के लिए सीटों की बुकिंग मौजूदा प्रस्तावों में संशोधन, शुल्क को समेकित करके और विशेष दिशानिर्देश पारित करके दी गई है। महिलाओं को सरकार के अधीन प्रशासन देकर उन्हें समाज में लाने के लिए कानूनी हद तक जाने की राज्य की प्रतिबद्धता स्थापित है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कई मामलों में राज्य के तहत सहायता में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के संबंध में प्रस्तावों की वैधता का परीक्षण अदालतों की निरंतर निगरानी में किया गया है, फिर भी अधिकांश मामलों में निर्णय स्पष्ट किए गए हैं "भारत संघ बनाम के.पी. प्रभाकरण"6 में सर्वोच्च न्यायालय की रूपरेखा के लिए। ने रेलवे प्रशासन की पसंद बरकरार रखी है। शहरी क्षेत्रों में आरक्षण कार्यालयों में प्रश्न सह आरक्षित सीट सहायकों के पदों को केवल महिलाओं के लिए सुरक्षित रखना।

लेकिन, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एम.एम. रघुवंष बनाम पंजाब राज्य7 में यह सोचा गया कि एक सरकारी आदेश जिसने महिलाओं को महिला जेल में अधीक्षक पद के लिए अयोग्य घोषित किया, वह कला का अपमानजनक नहीं है। संविधान का 15(1) इस आधार पर अलगाव की अनुमति नहीं देता है कि यदि एक महिला को अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो जेल में रखे गए नियमित अपराधियों पर अनुशासन सुनिश्चित करते समय उसकी भूमिका सबसे खराब और जोखिम भरी हो जाएगी। सूरज की रोशनी में यह निर्णय तर्कसंगत प्रतीत होता है कि यह महिलाओं की निश्चित सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है।

इसके विपरीत विचार यह है कि जब दो पुरुष शारीरिक और मानसिक शक्तियों के मामले में समान नहीं हैं, तो एक पुरुष और महिला कैसे समान हो सकते हैं। यह सच है कि पुरुष और महिला शारीरिक, मानसिक, शारीरिक, शारीरिक, जैविक, सामाजिक और यहां तक कि आध्यात्मिक रूप से भी भिन्न होते हैं, इसलिए समानता का मुद्दा ठीक से स्थापित नहीं है। हालाँकि, सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण देना एक अलग मामला है लेकिन पंचायत, नगर पालिकाओं, संसद और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण देना एक अलग मामला है। महिला सशक्तिकरण के धरातल पर. शैक्षिक और मानसिक रूप से उन्नत किए बिना, ऐसा आरक्षण अनुत्पादक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-I, Issues-35, YEAR-Jan-Mar. 2025

साबित होने की संभावना है। भारतीय समाज आज भी पुरुष प्रधान है। शैक्षिक संस्थानों और सामाजिक संस्थानों को अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता है और यह वांछनीय है कि भारतीय महिलाओं को आरक्षण की नीति के तहत संसद और विधानसभाओं में प्रवेश करने से पहले व्यवस्थित प्रशिक्षण से गुजरना चाहिए, पर्याप्त प्रशिक्षण और स्वभाव के अभाव में महिलाओं का शोषण होने की संभावना है या वे ऐसा करेंगी। बेईमान लोगों के हाथ की कठपुतली बन जाओ। यह प्रस्तुत किया गया है कि राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण के आंदोलन को निलंबित करने की आवश्यकता है।

महिला आंदोलन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा– भारत में राजनीतिक प्रतिष्ठानों में महिलाओं के अधिक प्रमुख चित्रण के लिए रुचि तब तक प्रभावी तरीके से नहीं उठाई गई जब तक कि भारत में महिलाओं की स्थिति पर परिषद (सीएसडब्ल्यूआई) की स्थापना नहीं हुई, जिसने 1976 में अपनी रिपोर्ट प्रसारित की। महिलाओं के सुधार को बढ़ावा देने का अभिसरण महिलाओं की वित्तीय स्थिति को अतिरिक्त बढ़ावा देने पर था। सीएसडब्ल्यूआई की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि राजनीतिक आधार पर, विशेषकर जमीनी स्तर पर महिलाओं के चित्रण को महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था के माध्यम से बढ़ाया जाना चाहिए। 1988 में, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना ने सुझाव दिया कि निर्वाचित निकायों के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत राशि पेश की जाए। महिला मिलन समारोहों में अनुरोध किया गया कि प्रशासनिक मुद्दों में घास–फूस की मदद लेने के लिए बुकिंग को पंचायत (नगर पैनल) स्तर पर बाध्य किया जाए। इस प्रस्ताव के इर्द–गिर्द 1993 में भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संशोधनों को लागू किया गया। 1995 में, नियमों का विषय फिर से उठाया गया, लेकिन इस बार संसद में केंद्र महिलाएं थीं।

महिला आरक्षण विधेयक की आवश्यकता है– सबसे पहले अधिकांश वैचारिक समूहों ने संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण की सिफारिश पर सहमति व्यक्त की। किसी भी मामले में, लंबे प्रश्नों से पहले मोटे होते हैं। जब 1947 में 11वीं संसद में इस मुद्दे पर निर्णय लेने वाला विधेयक पेश किया गया तो सीमित बैठकों और बैठकों में इसकी आलोचना हुई। महिला आरक्षण विधेयक बारह वर्षों तक छात्रावास में अनियमित और शर्मनाक रूप से गरमागरम दृश्यों के बीच अधर में लटके रहने के बाद आखिरकार राज्यसभा में पारित हो गया। फिलहाल इस बिल को अपने क्रियान्वयन के लिए लोकसभा से हरी झंडी मिलने की उम्मीद है।

1. मांग की औचित्यता– एम. नागराज और अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य8 मामले में शीर्ष अदालत ने आरक्षण के लिए योजना को मंजूरी देने से पहले दो शर्तें रखीं, अर्थात् पिछड़ेपन का अस्तित्व और प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता मौजूद होनी चाहिए यानी महिलाओं के लिए विधायिका में सीटों के आरक्षण के दावे को उचित ठहराने के लिए इन दो शर्तों का पता लगाना होगा, सुलभ आंकड़ों से स्पष्ट है कि संसद के निचले सदन यानी लोक सभा में महिलाओं का चित्रण सभी समग्र फैसलों में आश्चर्यजनक नहीं था। 15वीं लोकसभा चुनावों में महिलाओं के चित्रण में बेहद धीमी गति से सुधार देखा गया है, भले ही भारत की लगभग 50: आबादी में महिलाएं शामिल हैं।

2. आरक्षण के माध्यम से राजनीतिक सशक्तिकरण– यहां यह मुद्दा उठाना उचित हो सकता है कि महिलाओं की राजनीतिक किलेबंदी और वह भी विधानसभाओं में उपभोग के आरक्षण के माध्यम से अपेक्षित महत्व क्यों है? उत्तर सीधा और आवश्यक है. सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सी महिलाएं विधायी मुद्दों में भाग लेने के लिए हठपूर्वक आगे नहीं आ रही हैं, जिसे अपमानजनक और बेईमानी से व्यक्त किया गया है। दूसरा, हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था इस बात पर हावी है कि जानबूझकर महिलाओं को उनके घरों की चार दीवारों में रखने में पुरुषों की व्यक्तिगत हिस्सेदारी है। तीसरा, सभी दार्शनिक सभाएँ चुनाव के दौरान अधिक टिकट देकर अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने में विफल रही हैं। वैसे भी महिलाओं को मतदान प्रपत्र पेश करने का अधिकार मिल गया है, लेकिन उनकी संख्या के संबंध में राजनीतिक शक्ति हासिल करने की उनकी लड़ाई हाल ही में शुरू हुई प्रतीत होती है।

3. विधेयक के निहितार्थ

i. संसद और राज्य विधानमंडल में कुल उपलब्ध सीटों में से 1ध्3 सीटें महिलाओं के लिए।
ii. एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए 22.5: आरक्षण के अलावा, महिलाओं के लिए 1ध्3 आरक्षण।
iii. संवैधानिक संशोधन शुरू होने के 15 वर्ष बाद आरक्षण का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
iv. इस बिल से देश की राजनीतिक संस्कृति बदलने की उम्मीद है. राजनीतिक दलों के एजेंडे में महिलाओं के मुद्दे उच्च प्राथमिकता में रहेंगे।

महिलाओं के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए मीडिया की भूमिका: किसी भी आम जनता के सुधार के लिए, महिलाओं की स्थिति एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी प्रगति है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कामकाजी महिलाएँ माँ, छोटी लड़कियाँ, बहनें और कामकाजी लड़कियाँ परिवार में एक महत्वपूर्ण कड़ी होती हैं। वे ही हैं जो भविष्य में लोगों के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जब वे लचीली उम्र में होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप एक पुरुष को पढ़ाते हैं, तो आप एक व्यक्ति को पढ़ाते हैं, लेकिन यदि आप एक महिला को पढ़ाते हैं, तो आप पूरे परिवार को पढ़ाते हैं।

भारत में सदियों से महिलाओं की भूमिका में परिवर्तन आ रहा है। वैदिक युग में महिलाओं को पुरुषों के बराबर महत्व दिया जाता था। वैदिक मंत्र जैसे साम्राज्ञी स्वसुरे भव, ससुर के लिए महारानी बनो, सास के लिए महारानी बनो, आदि घर में महिलाओं को दी गई उच्च स्थिति को दर्शाते हैं। महिला द्रष्टा या ब्रह्मवादिनी पुरुष द्रष्टाओं के समान थीं और घोषा, अपाला और विस्कवारा जैसे नाम अभी भी याद किए जाते हैं। (प्राचीन भारत में समाज, सुरेश चंद्र बनर्जी द्वारा। 1993)। लेकिन, मध्य युग तक, भारत में महिलाओं को निम्न स्थिति में धकेल दिया गया। वास्तव में, आज भी, दहेज हत्या, छेड़छाड़ और महिलाओं पर हमला जैसी घटनाएं एक बड़ी असुविधा का संकेत देती हैं जहां महिलाओं को जनता की नजरों में उचित स्थान नहीं दिया जाता है।

हम जिस समाजशास्त्रीय परिवेश में रह रहे हैं उसके सभी पहलुओं के बारे में धारणाओं को बदलने में मीडिया की भूमिका इस संबंध में महत्वपूर्ण साबित हुई है। जैसा कि विशेष रूप से पिछले दो दशकों में अध्ययनों में दर्ज किया गया है, मीडिया, विशेष रूप से दृश्य–श्रव्य ने भारतीय घरों में बयार या बदलाव लाया है। 80 के दशक में इंदरजीत कौर द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला कि विभिन्न मीडिया के संपर्क में आने से मध्यम वर्ग की हिंदू महिलाओं का मूल्य अभिविन्यास पहले से ही एक गहरे जोखिम से गुजर रहा था। 'भारत में हिंदू महिलाओं की स्थिति' पर उनकी पुस्तक में।

भारतीय स्थिति– ऐसा सिर्फ वैश्विक स्तर पर ही नहीं है कि गैर सरकारी संगठन सामान्य स्वतंत्रता की उन्नति और सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, वे भारत में भी काम कर रहे हैं और सराहनीय काम कर रहे हैं। उनका काम मानव अधिकार संरक्षण

अधिनियम, 1993 के तहत दर्शाया गया है, अधिनियम की धारा 12 (प) एनएचआरसी के तत्वों में से एक को निर्दिष्ट करती है। मानवाधिकार अधिनियम, 1993 की ढाल के तहत निर्देश के साथ मानव दायित्वों के क्षेत्र में कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों और प्रतिष्ठानों के काम को सक्रिय करने के लिए आयोग और के बीच घनिष्ठ और कॉर्पोरेट संबंधों की प्रगति के बिना पर्याप्त रूप से जारी नहीं किया जा सकता है। गैर–विधायी संघ – भारत के व्यक्तियों की आँखें और लंबी अवधि। सामान्य स्वतंत्रता का कारण व्यावहारिक सहायता और सहायक आलोचना दोनों से प्राप्त करना है जो एनजीओ और कमांड अपनी साझा अंतःक्रिया गतिविधि और विकासशील संबंधों में खड़े रहने के लिए कर सकते हैं?

मानव नागरिक अधिकारों के उन्नयन और संरक्षण को आगे बढ़ाने के लिए एनजीओ तीन तरह से सहायक हो सकते हैं। सबसे पहले, वे मानव नागरिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का ज्ञान इकट्ठा करके उसे जनमत के प्रकाश में ला सकते हैं और उसकी रोकथाम के लिए प्रयास कर सकते हैं। और उनके लिए यह काम आम तौर पर जमीनी स्तर के संगठन हैं। दूसरे, चूंकि ये एनजीओ बड़े पैमाने पर लोगों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए वे मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन और अतिसंवेदनशील मामलों की जांच में हर स्तर पर मदद कर सकते हैं। तीसरा, एनजीओ किसी विशेष क्षेत्र में विशेष ज्ञान होने पर महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, जब भी आयोग ऐसे क्षेत्र में मानवाधिकार के मुद्दों को उठा रहा है, उदाहरण के लिए, महिलाओं के खिलाफ अपराध।

भारत में कार्यरत विभिन्न एनजीओ को सूचीबद्ध करना संभव नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीजय बंधुआ मुक्ति मोर्चाय पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्सय सामान्य कारणय अखिल असम छात्र संघय अंतर्राष्ट्रीय च्म्छ की जेल समिति में लेखकय सिविल लिबर्टीज कमेटी (आंध्र प्रदेश)य ग्रामीण मुकदमेबाजी एवं हकदारी केंद्र (देहरादून)य भारतीय पर्यावरण कानूनी कार्रवाई परिषद, वेल्लोर नागरिक कल्याण मंचय सहेलीय दिल्ली घरेलू कामकाजी महिला मंचय कानूनी सहायता सेवाएँ, पश्चिम बंगालय बाल सहायता सोसायटीय एस.सी. कानूनी सहायता समितिय गुड़िया (वाराणसी)य जनहित याचिका केंद्रय लोकतंत्र के लिए नागरिकय डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के लिए एसोसिएशनय लोकसत्ता आदि।

उपरोक्त के अलावा महिलाओं के संबंध में कुछ गैर सरकारी संगठन भी हैं जैसे काली फॉर वूमेनय 'शक्ति सालिनी'य मानुषीय अंकुरय महिला केंद्र (दिल्ली)य अक्षरा (मुइर्कबाई)य अश्मिता (हैदराबाद)य स्वैच्छिक कार्रवाई नेटवर्क भारतय भारतीय सामाजिक संस्थानय महिला विकास केंद्रय महिलाओं की राजनीतिक घड़ी, आदि।

निष्कर्ष के तौर पर विलियम कोरी को उद्धृत करना अनुचित नहीं होगाः जैसे–जैसे बीसवीं शताब्दी समाप्त हो रही है, बुनियादी स्वतंत्रता के प्रत्येक भाग में गैर–विधायी संघों का योगदान असाधारण रूप से विकसित हुआ है। आज दुनिया के हर देश में मूल स्वतंत्रता कार्यकर्ता और संघ मौजूद हैं। कुछ लोग मानार्थ प्रवचन, बहुसंख्यक नियम प्रणाली और सख्त और नस्लीय प्रतिरोध की उम्मीद के साथ अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं और व्यवसाय कर रहे हैं। अन्य लोग पीड़ा, असंगत हिरासत और समकालीन प्रकार के बंधन के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। फिर भी अन्य लोग मौद्रिक पर प्रभाव डालने का प्रयास कर रहे हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. AIR 1992
2. AIR 1981, SC 1829
3. AIR 1997, SC, 449
4. AIR 1972, AIL, 305
5. 1993, SCC, 439
6. 1997(1) SCC 638
7. AIR 1972, 117
8. AIR 2007, SC 71
9. Dhagamwar V., Indian Law Institute, Delhi, 1990.
10. Indian Constitutional Law Wadhwa and Company, Law Publishers, Agra, 2001.
11. Jolly Richard., "Women's Need and Adjustment Policies in Developing Countries, Women's Development Group of the OECD", Peris, 1997

*****